

आयाम, औद्योगिक और वैज्ञानिक नयी-नयी चीजें आ रही हैं, उनको यदि हम लागू करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह सही वक्त था। महोदय, मैं अगर लक्ष्य 2020 की तरफ चलों तो आज जो बच्चा 6 वर्ष का है और पहली जमात में जा रहा है इन तीन राज्यों का, अगर उनको हम पहला ऐल्फाबेट स्लेट से नहीं, कम्प्यूटर से शुरू कराएँ तो 16 साल में जब वह ग्रेजुएट होगा, वह पूरी तरह लिटरेट होगा। आज जमाना वह आ रहा है जब हम डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। पढ़ा-लिखा आदमी, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्ट्रेट की डिग्री है पर अगर कम्प्यूटर चलाना नहीं जानता है तो वह आज के जमाने के हिसाब से, आज की परिभाषा के हिसाब से इल्लिट्रेट है और जब हम देश के 97वें स्वाधीनता दिवस का पालन करने जाएंगे उस वक्त जो 1947 में विज्ञान की प्रगति थी या जो सारे विश्व की अवस्था थी और आज जो सारे विश्व की अवस्था है, जहाँ अपनी प्रतिस्पर्धा पर, कंपीटीटिव वर्ल्ड में कंपीटीशन करके अपनी प्रतिस्पर्धा पर आपको आगे बढ़ना है तो एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सबसे पहले एक विकसित नागरिक को तैयार करना होगा और आने वाले भारत का 2020 का जो नागरिक है, आज वह पहली जमात में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इसके माध्यम से - हमारे मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें कही हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से यह यह करते हैं। मैं कहता हूँ कि आज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की गाइडलाइन्स और क्राइटेरिया में आमूल परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि जो ढर्रे या क्राइटेरिया आपने उस वक्त इसके लिए बनाए थे, उसमें और आज की जरूरतों में जमीन आसमान का फर्क है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सदन ने पूरी तरह से इसका समर्थन किया है और हरेक सदस्य ने बताया - किसी भी कॉर्नर के सदस्य ने ऐसा नहीं कि इसका समर्थन न किया हो क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष की या किसी दल की बात नहीं है। यह एक सशक्त भारत निर्माण की कल्पना, सशक्त राष्ट्र के निर्माण की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ एक सपना है और वह सपना तभी पूरा हो सकता है जब सब लोग आगे आकर इसके बारे में सोचें। महोदय, मैं यही कहकर आपसे इजाजत चाहूँगा और चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि हम आगे भी कर रहे हैं और आगे कुछ और करेंगे, तो जब मंत्री महोदय करना चाहते हैं या सरकार चाहती है और सदन के चारों तरफ के लोग चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी चाहेगी और ऐसा कुछ संशोधन आएगा जिसमें हम नई विचारधारा रखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का सपना, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना कि 2020 तक भारत एक विकसित भारत के रूप में पृथ्वी के पटल पर उभरेगा, यह सपना अगर है और उसको साकार करने में सब लोग शरीक होंगे, इसलिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ, धन्यवाद।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is, the 30th January, 2004, allotted time for Government Legislative and other Business as follows:-

BUSINESS	TIME ALLOTTED
<ol style="list-style-type: none"> 1. General Discussion on Interim Railway Budget for 2004 -2005. 2. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they have been passed by Lok Sabha:- <ol style="list-style-type: none"> (a) Demands for Grants on Account (Railways) for 2004-2005. (b) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2003-2004. (c) Demands for Excess Grants (Railways) for 2001-2002. 	4 hours
<ol style="list-style-type: none"> 3. Consideration and adoption of amendments to be made by Lok Sabha in the following Bills, as passed by Rajya Sabha:- <ol style="list-style-type: none"> (a) The Foreigners (Amendment) Bill, 2003. (b) The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2003. (c) The British Statues (Repeal) Bill, 2003. 	Half-an-hour.
<ol style="list-style-type: none"> 4. General Discussion on Interim General Budget for 2004-2005. 	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands, after they have been passed by Lok Sabha:- <ol style="list-style-type: none"> (a) Demands for Grants on Account (General) for 2004-2005. (b) Supplementary Demands for Grants (General) for 2003-2004. 	6 Hours
<ol style="list-style-type: none"> 6. Consideration and return of the Finance Bill, 2004, after it has been passed by Lok Sabha. 	

The Committee also recommended that the House may commence sitting at 11.00 A.M. on Tuesday, the 3rd February, 2004, instead of 12.30 P.M., as scheduled earlier.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Foreigners (Amendment) Bill, 2004.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

" I am directed to inform you that the Foreigners (Amendment) Bill, 2003 which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 7th May, 2003, has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th January, 2004 with the following amendments:-

Enacting Formula

Page 1, line 1,-

for "Fifty-fourth"

substitute "Fifty-fifth"

Clause 1

Page 1, line 3,-

for "2003":

substitute "2004"

2. I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 121 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha with the request that the concurrence of Rajya Sabha in the said amendments be communicated to Lok Sabha."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Tuesday, 3rd February, 2004.

The House then adjourned at twenty-four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, 3rd February, 2004.